संख्या-646/2017/1917/22-2-2017-24जी/2017

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2017***

विषय: स्वतन्त्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध 70 सिद्धदोष बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-28284/प्रोबेशन-6/सूचना/अर्थदण्ड/2017, दिनांक 10.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जो कि मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा भोग लिये हैं लेकिन अर्थदण्ड न जमा कर पाने के कारण अतिरिक्त सजा भोग रहे हैं, की कुल 137 सिद्धदोष बन्दियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। स्वतन्त्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध 70 सिद्धदोष बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में 05 सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। अवशेष 65 सिद्धदोष बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूची के क्रमांक-1 से 65 तक अंकित कुल 65 सिद्धदोष बन्दियों की सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सूची के कालम-09 पर अंकित अवशेष अर्थदण्ड की धनराशि किसी स्वयं सेवी संस्था/समाज सेवी संस्था/क्लब/ट्रस्ट के सहयोग से जमा कराकर यदि किसी अन्य मामले में निरूद्ध रखना वांछित न हो तो उनको कारागार से रिहा किये जाने के सम्बन्ध में निरूद्धि की कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार को अपने स्तर से निदेशित करने का कष्ट करें। जुर्माना जमा कराये जाने से पूर्व स्वयं सेवी संस्था/समाज

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सेवी संस्था/क्लब/ट्रस्ट की वैधानिक पवित्रता की जांच कर ली जाय।

2- उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु सभी औपचारिकताएं 15 अगस्त, 2017 के पूर्व ही पूर्ण कर ली जाय तथा स्वतन्त्रता दिवस के पवित्र अवसर पर रिहाई सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

संख्या-646/2017/1917(1)/22-2-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, आदर्श कारागार/केन्द्रीय/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।